फाइल सं(1)2 0 सीएसी/2-एन्फ/2014/एफएसएसएआई-खंड/4

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की केंद्रीय सलाहकार समिति की 13वीं बैठक का कार्यवृत्त

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की केंद्रीय सलाहकार समिति की 13वीं बैठक दिनांक 8 जनवरी, 2015 को गुलमोहर हाल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोदी रोड, नई दिल्ली में हुई। बैठक में भाग लेने वालों की सूची **अनुबंध-1** पर दी गई है।

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई द्वारा स्वागत भाषण

1.1 श्री वाई. एस. मलिक ने सीएसी के सदस्यों का स्वागत किया और एफ.एस.एस अधिनियम, 2006 को लागू करने के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने 3 वर्षों के समय में लगभग 30 लाख एफ.बी.ओ का पंजीकरण करने और लाइसेंस प्रदान करने की उपलब्धि को नोट किया। लाइसेंसिंग/पंजीकरण के लिए ऑनलाइन सिस्टम पर काम करना प्रारंभ करने वाले राज्यों की सराहना करते हुए उन्होंने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा एफ.एल.आर सिस्टम में असंगतियों और उनकी कठिनाइयों, यदि काई हों, पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने न्यायाधिकरण और संचालन समितियाँ बनाने के लिए भी कई राज्यों की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि संचालन समिति की बैठक करने के लिए मुख्य सचिव के उपलब्ध न होने पर उसे राज्य/संघ शासित क्षेत्र के संबंधित प्रधान सचिव की अध्यक्षता में किया जा सकता है, जिससे राज्य/संघ शासित क्षेत्र स्तर पर निर्णयों के क्रियान्वयन में संभावित देरी से बचा जा सके।

1.2 गोआ, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों की एफ.एस.एस.ए.आई को मासिक रिपोर्टें समय पर भेजने के लिए विशेष रूप से प्रशंसा की गई। उन्होंने बल देकर कहा कि उपभोक्ता अधिनियम का केंद्र-बिंदू है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि देश में अवैध/अप्राधिकृत बूचड़खाने चिंता के मुख्य मुद्दों में से हैं और सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के एफएससी को अनुरोध किया कि वे दोषियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करें। उन्होंने तेल, दूध और पानी जैसे कीमती सामानों की सुरक्षा पर भी बल दिया और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को ऐसे क्षेत्रों में निगरानी गतिविधियाँ बढ़ाने का अनुरोध किया।

1.3 उन्होंने आगे सूचित किया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हितधारकों द्वारा सामने लाई गई असंगतियों और न्यायालयों के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपने आदेश दिनांक 16.12.2014 द्वारा एफ.एस.एस अधिनियम, 2006, उसके अंतर्गत बने एफ.एस.एस नियमों एवं विनियमों की पुनरीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की थी। चूँकि एफ.एस.एस अधिनियम, 2006 और नियमों एवं विनियमों के क्रियान्वयन का दायित्व संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का है, सीईओ ने सभी एफ.एस.सी को अपने सुझाव अथवा अन्य कोई संबंधित मामला डॉ. तरसेम चन्द, निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली को भेजने का अनुरोध किया, जिससे उन पर समिति द्वारा विचार किया जा सके।

1.4 सीईओ, एफ.एस.एस.ए.आई ने अवलोकन किया कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य हैं, परंतु अनेक राज्य उनके अधीनस्थ अधिकारियों अथवा अन्य अधिकारियों को समिति में भेज देते हैं। उन्होंने परामर्श दिया कि आगे से केवल समिति के सदस्य ही इसकी बैठकों में भाग लें, क्योंकि इससे बैठक में उनके ज्ञापन में आए नीतिगत निर्णय लेने और उनका अनुपालन कराने में सहायता

मिलती है। उन्होंने इस बात को दोहराया कि भविष्य में प्रतिनिधियों की जगह गैर-सदस्यों की भागीदारी संभव नहीं हो सकेगी।

1.5 मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने उपभोक्ता मामले की माननीय संसदीय स्थायी समिति के साथ हुई चर्चा और दुग्ध में मिलावट की व्यापक घटनाओं पर व्यक्त की गई चिंता और इस समस्या से प्रभावी रूप से निपटने के आवश्यक कदम उठाने संबंधी विवरण साझा किए। उन्होंने आगे बताया कि दूध, पानी और खाद्य तेल वे कीमती सामग्रियाँ हैं, जिनका सभी वर्गों के उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है और इसलिए देश में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इन सामग्रियों की सुरक्षा के लिए निगरानी करने की आवश्यकता है।

1.6 सीईओ, एफ.एस.एस.ए.आई ने सदस्यों को यह भी सूचित किया कि वे एफ.एस.एस अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन में प्रगति की जानकारी लेने और उसके क्रियान्वयन में आई समस्याओं को समझने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का दौरा करना शीघ्र आरंभ करेंगे।

2. अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा उद्घाटन भाषण

2.1 अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई ने सी.ए.सी के सभी सदस्यों का स्वागत किया और सीईओ के अवलोकनों को दोहराया। उन्होंने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा एफ.एस.एस अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अधिनियम के क्रियान्वयन तथा एफ.एल.आर के ऑनलाइन अंगीकरण के लिए शेष राज्यों से उनके ऑनलाइन अंगीकरण के लिए उनके परम सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य/संघ शासित क्षेत्र अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाएँ, अधिनियम को उसके पीछे अंतर्निहित भावना के अनुसार लागू किया जा सके। उन्होंने कई मुद्दों का समाधान करने के लिए अंतर्राज्यीय सहयोग प्रणाली स्थापित करने का परामर्श दिया। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के केवल दो वर्ष शेष रह जाने के तथ्य को देखते हुए अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को इस योजना के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राशि जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया।

2.2 अध्यक्ष ने यह भी कहा कि उन खाद्य पदार्थों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिनका जनता के बड़े वर्ग द्वारा अधिक मात्रा में उपभोग किया जाता है और जिनके घटिया अथवा अपमिश्रित होने के कारण अधिक जोखिम रहता है। उन्होंने माननीय न्यायमूर्ति श्री ए. के. सीकरी, सर्वोच्च न्यायालय और पंजाब, हरियाणा, इलाहाबाद, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड तथा जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीशों की सम्माननीय उपस्थिति में चंडीगढ़ जुडिशियल एकेडमी में दिनांक 18.10.2014 को पंजाब सरकार तथा राज्य खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण, पंजाब एवं चंडीगढ़ के सहयोग से ''शुद्ध भोजन - एक मौलिक अधिकार'' विषय पर आयोजित रीजनल कोलोक्विम की सराहना की। उन्होंने ऐसे आयोजन अन्य स्थानों पर भी करने की आवश्यकता पर बल दिया। अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई ने लेह के अभिनामित अधिकारी के जम्मू एवं कश्मीर के लेह क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य की भी सराहना की। अंत में उन्होंने अवलोकन किया कि अधिनियम की वास्तविक ताकत इसके प्रभावी क्रियान्वयन में है।

2.3 अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई के उद्घाटन भाषण के बाद सीईओ ने सदस्यों को कार्यसूची के अनुसार कार्रवाई आरंभ करने के लिए आमंत्रित किया।

कार्यसूची 1 - हित का प्रकटन

सदस्यों ने हित के प्रकटन संबंधी फार्म भरे और प्रस्तुत किए।

कार्यसूची 2 - सीएसी की 12वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

सीएसी की 12वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची 3 - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

3.1 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को राज्य/संघ शासित क्षेत्र में निगरानी गतिविधियों और दस्तावेजी रूप में जारी किए गए लाइसेंसों/किए गए पंजीकरण के कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया के विवरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। सीईओ, एफ.एस.एस.ए.आई ने सूचित किया कि एन.आई.एस.जी द्वारा विकसित ऑनलाइन निगरानी प्रणाली के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

3.2 खाद्य सुरक्षा आयुक्त, दिल्ली ने बताया कि उनका समग्र लेन-देन भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से है और उसे बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से करने के लिए सीएजी से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने एफ.एस.एस.ए.आई को अनुरोध किया कि वह इस मामले के लिए मुख्य सचिव, दिल्ली को पत्र लिखे, ताकि वे भी बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से पेमेंट गेटवे का उपयोग करें। एफ.एस.एस.ए.आई ने इस मामले को उठाने पर सहमति व्यक्ति की।

3.3 खाद्य सुरक्षा आयुक्त, केरल ने सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर भोजन के कुछ पहलुओं के बारे में विद्यार्थियों को ''पीयर लीडर'' के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए स्कूल आधारित पहल ''सुरक्षित आहार, स्वस्थ जीवन'' पर एक वृत-चित्र प्रस्तुत किया। एफ.एस.सी, केरल ने यह भी सूचित किया कि अगले कदम के रूप में विभाग 'कदम्बश्री' प्रशिक्षण देना आरंभ करेगा, जो केरल में घरों में सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर आहार की महत्ता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए महिला स्वयं-सहायता समूह की पहल है। सीईओ, एफ.एस.एस.ए.आई ने इस पहल की प्रशंसा की और अन्य राज्यों को भी ऐसी ही पहलें करने का अनुरोध किया। वृत्त-चित्र की सीडी सभी सदस्यों को दी गई।

3;4 डॉ. एस. के. बालकृष्णन्, डी.ओ, पुदुच्चेरी ने संघ शासित क्षेत्र में चलाई गई निगरानी गतिविधियों के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया, जिसमें उन्होंने फलों को कृत्रिम रूप से (विशेषकर कैल्शियम कार्बाइड से) पकाने के हानिकर प्रभावों के प्रति जागरूकता पैदा करने तथा मिड-डे स्कीम के तहत बच्चों के लिए स्वास्थ्यकर आहार मिलने पर विशेष बल दिया। अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई ने पहल की प्रशंसा की और सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को मिड-डे स्कीम के अंतर्गत दिए भोजन की सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता देने का अनुरोध किया।

3.5 सीईओ, एफ.एस.एस.ए.आई ने सूचित किया कि जलवायु के अनुसार खाद्य रीतियों के बारे जागरूकता फैलाने के संबंध में श्री देसिकान, सदस्य, सीएसी के सुझाव पर सुविचार किया जाए। उन्होंने बच्चों में खान-पान की अच्छी आदतें डालने में अध्यापकों की भूमिका पर भी बल दिया। इन प्रस्तुतीकरणों के पश्चात्, सीईओ, एफ.एस.एस.ए.आई ने राज्यों को खाद्य सुरक्षा संबंधी खराब और उत्तम रीतियाँ दर्शाने वाले चित्र एफ.एस.एस.ए.आई को भेजने का अनुरोध किया, ताकि उपभोक्ताओं/ एफबीओ में अधिक जागरूकता लाने के लिए उन्हें एफ.एस.एस.ए.आई की वेबसाइट पर डाला जा सके। अध्यक्ष ने यह भी सुझाव दिया कि गोआ और दिल्ली सीएसी की अगली बैठक में अपनी उत्तम रीतियों का प्रस्तुतीकरण करके उन्हें सबके साथ साझा करें।

कार्यसूची 4 - एफ.एस.एस अधिनियम, 2006 का प्रवर्तन

4.1 सीईओ, एफ.एस.एस.ए.आई ने सुझाव दिया कि अपीलीय न्यायाधिकरणों के लिए सेवारत न्यायाधीश की उपलब्धता कठिन होने पर राज्य/संघ शासित क्षेत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के सेवा-निवृत्त न्यायिक अधिकारियों की सेवाएँ लेने पर विचार कर सकते हैं, ताकि न्याय-निर्णयन की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के चलती रहे। सीईओ ने सुझाव दिया कि एफ.एल.आर.एस सहित लाइसेंसिंग और पंजीकरण

संबंधी विभिन्न मामलों की पुनरीक्षा करने के लिए गोआ, दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु के एफ.एस.सी को सदस्य रखते हुए एक समिति गठित की जाए। सुझाव पर सहमति व्यक्ति की गई और उसका अनुमोदन किया गया।

4.2 सीईओ, एफ.एस.एस.ए.आई ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को यह भी अनुरोध किया कि वे लाइसेंस और पंजीकरण के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कराने का शुल्क देकर कॉमन सर्विस सेंटरों की सेवाएँ लें। उन्होंने आंध्र प्रदेश में 'मी सेवा' नामक सेवा का उदाहरण दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के लाइसेंसधारियों को आदेश सं0 1(85)/तेलंगाना/2014/एफएसएसएआई, दिनांक 07.01.2015 के अनुसार वर्तमान लाइसेंस संख्या के साथ मौजूदा लेबलों का उपयोग करने की अनुमति दी जा रही है। यही स्थायी आदेश के रूप में भविष्य के उन सभी मामलों पर वर्ष के 31 दिसंबर तक और न्यूनतम 180 दिनों के लिए लागू होगा, जहाँ भौगोलिक क्षेत्राधिकारों में सरकार अथवा कोर्ट के आदेशों के अनुसार राज्य अथवा जिलावार परिवर्तन हो जाए।

4.3 मौजूदा लाइसेंसों/पंजीकरणों के अंतरण के लिए वैधता की तिथि 4 फरवरी, 2015 से आगे बढ़ाने के प्रश्न का उत्तर देते हुए डॉ. तरसेम चन्द्र, निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया कि मंत्रालय ने अभी इस पर विचार नहीं किया है। श्री देसीकान ने सुझाव दिया कि लाइसेंसिंग के लिए अंतिम तिथि को न बढ़ाया जाए क्योंकि इससे एफबीओ को भ्रांति बनी रहती है। इस मामले में सीईओ, एफ.एस.एस.ए.आई ने स्पष्ट किया कि तिथि बढ़ाने की बात केवल खाद्य से संबंधित अन्य विभिन्न आदेशों/अधिनियमों के अंतर्गत मौजूदा लाइसेंसों/पंजीकरणों का एफ.एस.एस अधिनियम, 2006 के अंतर्गत नए लाइसेंस/पंजीकण में अंतरण पर लागू होती है। उन्होंने यह भी सूचित किया इससे राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अधिनियम के विभिन्न खंडों के उल्लंघन के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में बाधा नहीं पड़ेगी।

4.4 अध्यक्ष ने झारखंड, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल राज्यों को एफ.एल.आर.एस अपनाने और ऑनलाइन लाइसेंसिंग एवं पंजकरण प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया। उन्होंने ऑनलाइन एफ.एल.आर.एस को झारखंड में दिनांक 22.01.2015 को आरंभ करने के लिए झारखंड के प्रतिनिधि को एन.आई.एस.जी दल के साथ बैठक करने और उसके बारे में राज्य के एफ.एस.सी को सूचित करने का अनुरोध किया। अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई ने इस बात पर बल दिया कि राज्य/संघ शासित क्षेत्र इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करने पर ध्यान दें ताकि अधिनियम का क्रियान्वयन एवं प्रवर्तन उचित रूप से किया जा सके।

कार्यसूची 5 - एफ.एस.एस अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन के संबंध में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की प्रगति

5.1 सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को एफ.एस.एस.ए.आई को वार्षिक रिपोर्ट 2013-14 और अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में नियमित रूप से प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। सीईओ, एफ.एस.एस.ए.आई ने ध्यान में लाया कि पश्चिमी बंगाल में लाइसेंस अभी भी पी.एफ.ए अधिनियम, 1954 के अंतर्गत जारी किए जा रहे हैं और एफ.एस.सी, पश्चिमी बंगाल को इस मामले की समीक्षा यथाशीघ्र करने का अनुरोध किया। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अधिनियम के अनुपालन संबंधी संक्षिप्त स्थिति **अनुबंध-2** पर दी गई है।

कार्यसूची 6 - एफ.एल.आर.एस का क्रियान्वयन

इस मद से संबंधित मामलों पर सीईओ के प्रारंभिक वक्तव्य और मद सं0 4 पर चर्चा करते समय विस्तार से चर्चा की गई।

कार्यसूची 7 - पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केंद्र-प्रायोजित योजना

7.1 केंद्र-प्रायोजित योजना की प्रगति बताते हुए सीईओ ने समिति को सूचित किया कि मंत्रालय ने आर्थिक मामले की मंत्रीमंडलीय समिति के विचारार्थ और अनुमोदन के लिए इस मामले का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मंत्रालय ने प्रस्ताव से सर्वसाधारण की सम्मतियाँ भी आमंत्रित की थीं और यह प्रस्ताव सी.सी.ई.ए के विचारार्थ एवं अनुमोदन के लिए केबिनेट सचिवालय को प्रस्तुत किया जा रहा था। उन्होंने आगे कहा कि इस योजना की निधियाँ निम्न कार्यों के लिए उपलब्ध होंगी:

(i) स्थापना का विभिन्न स्तरों पर उन्नयन
(ii) प्रयोगशाला इन्फ्रास्ट्रक्चर का उन्नयन और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना
(iii) आई.ई.सी गतिविधियाँ और जागरूकता कार्यक्रम

7.2 उन्होंने निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को योजना के अनुमोदन-पूर्व बजट प्रावधान सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।

7.3 डॉ. तरसेम चन्द, निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सीईओ द्वारा बताई गई स्थिति का समर्थन करते हुए सूचित किया कि निधियों के लिए संशोधित एजेंडा आर्थिक मामलों की मंत्रीमंडलीय समिति को भेजा जाएगा और यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएँगे कि 3 वर्षों के लिए 900 करोड़ रुपयों का बजट प्रावधान हो। इस योजना में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 25 प्रतिशत और विशेष श्रेणी के राज्यों को 10 प्रतिशत हिस्सा देना होगा।

7.4 प्रयोगशाला उन्नयन में सहायता करने की आवश्यकता पर एफ.एस.सी, पश्चिमी बंगाल के प्रश्न पर सीईओ, एफ.एस.एस.ए.आई ने सूचित किया कि राज्यों को प्रयोगशालाओं के उन्नयन और उनकी स्थापना के लिए पूरा लचीलापन दिया जाएगा। उन्होंने राज्यों के साथ विभिन्न व्यवसाय मॉडल और अन्य कोई सम्बद्ध साहित्य साझा करने पर सहमति व्यक्त की और कोई भी मॉडल अपनाने का विकल्प राज्यों पर छोड़ा। सहायता देने के संबंध में सीईओ ने परामर्श दिया कि संबंधित राज्य एफ.एस.एस.ए.आई से मान्यता-प्राप्त एन.ए.बी.एल प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के विशेषज्ञों से परामर्श कर सकते हैं, जिनके विवरण एफ.एस.एस.ए.आई की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए थे। राज्य अपनी पहलों में उनका सहयोग लेने में स्वतंत्र हैं।

कार्यसूची 8 - मांस एवं मांस उत्पाद, बूचड़खानों का संचालन और प्रबंधन और पशुओं को हैंडल करने की रीतियों के बारे में कानूनी उपबंधों और विनियमों का प्रवर्तन

8.1 सदस्यों को बूचड़खानों की दयनीय दशा और इस क्षेत्र में अपनाई जा रही अनैतिक रीतियों के बारे में एक लघु फिल्म दिखाई गई। यह उल्लेख किया गया कि कई राज्यों में बूचड़खाने अवैध रूप से खुले हुए हैं। सदस्यों ने विचार व्यक्त किया कि वर्तमान विनियमों के अनुसार बूचड़खानों को लाइसेंस देने का काम एफ.एस.एस.ए.आई और राज्य सरकारों द्वारा किया जा सकता है, परंतु नियमों के प्रवर्तन और उपयुक्त रीतियों के अनुपालन की जाँच स्थानीय निकायों द्वारा की जाए। यह नोट किया गया कि बूचड़खानों का सुचारू प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य को समन्वित प्रयास करने होंगे।

8.2 इस विषय पर अच्छी व्यावसायिक और विनियामक रीतियाँ बनाने और सभी संबंधितों द्वारा उनके अनुपालन के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गोआ, केरल और जम्मू व कश्मीर के एफ.एस.सी की समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।

मद 9 - प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण

9.1 सदस्यों को पूरक कार्यसूची अर्थात् एफ.बी.ओ प्रशिक्षण के लिए मसौदा कार्य-प्रणाली देखने और उस पर अपनी टिप्पणियाँ उसी दिन अर्थात् 30 जनवरी, 2015 तक देने का अनुरोध किया गया, जिससे उसे देश में लागू करने के लिए अंतिम रूप दिया जा सके।

9.2 सदस्यों को यह भी अनुरोध किया गया कि वे एफ.एस.एस.ए.आई को प्रशिक्षण संस्थाओं के रूप में अंतिमत: अधिसूचित करने के लिए संस्थाओं के नाम भेजें। उनसे टी.ओ.टी कार्यक्रम में शामिल न हुए अधिकारियों को और इस कार्यक्रम के चरण 2 के लिए अधिकारी नामित करने का भी अनुरोध किया गया।

9.3 सीईओ, एफ.एस.एस.ए.आई ने परामर्श दिया कि विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थाओं की पहचान करने के अलावा राज्य/संघ शासित क्षेत्र इस प्रयोजन के लिए अपने क्षेत्र के कृषि/खाद्य प्रौद्योगिकी/गृह विभाग महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के साथ भागीदारी कर सकते हैं।

मद 10 - मिड-डे मील स्कीम

सीईओ, एफ.एस.एस.ए.आई ने केरल और गोआ राज्यों में मिड-डे मील स्कीम के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। इस मद पर चर्चा करते समय यह सुझाव दिया गया कि ऑनलाइन एफ.एल.आर.एस में मिड-डे मील कैटररों की एक विशेष श्रेणी शामिल की जाए।

मद 11 - जब्त/पकड़े गए उत्पादों का निपटान

यह सुझाव दिया गया कि पकड़े गए उत्पादों का टोकन रखा जाए और स्टोर किया जाए तथा शेष उत्पादों को नष्ट किया जा सकता है। तथापि, अंतिमत: यह निर्णय लिया गया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से सहायक जानकारी लेकर एक चरणबद्ध प्रक्रिया बनाई जाए और उसे राज्यों को उनकी सम्मतियों के लिए भेजा जाए।

मद 12 - भारतीय मानकों का कोडेक्स और अन्य अंतर्राष्ट्रीय उत्तम रीतियों से सुमेलन

सलाहकार, एफ.एस.एस.ए.आई ने समिति को मानकों के कोडेक्स के साथ सुमेलन के लिए किए गए समग्र कार्य के बारे में बताया। उन्होंने सूचित किया कि सुरक्षा मानक भाग पर कार्य लगभग पूर्ण है और कुछ मामलों में अधिसूचना संबंधी कार्य भी आरंभ हो चुका है। उन्होंने बताया कि खाद्य प्राधिकरण की दिनांक 16.01.2015 को होने वाली बैठक के समक्ष लगभग 11,000 मानक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। उन्होंने सदस्यों को यह भी सूचित किया कि इस सारी प्रक्रिया में लगभग 6-8 महीनों का समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य/संघ शासित क्षेत्र नई तरह के मानकों पर कार्य करने के लिए तैयार रहें। सुमेलन की प्रक्रिया पूरी होते ही राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सूचित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मसौदा मानकों के राजपत्र में अधिसूचित होते ही सम्मतियाँ आमंत्रित की जाएँगीं। उन्होंने सी ए सी को यह भी सूचित किया कि एल्कोहल और एल्कोहलीय पेयों के मानक अंतिमित होने के बाद राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सूचित किया जाएगा, जिससे वे अपने उत्पादन शुल्क विभागों को उपयुक्त परामर्श दे सकें।

मद 13 - लेबलरहित पैकेजबंद पेय जल की बिक्री

सीईओ, एफ.एस.एस.ए.आई ने सभी खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को उपभोक्ताओं में पैकेजबंद पेय जल के मानकों और लेबलिंग अपेक्षाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने का अनुरोध किया। उन्होंने इसके लिए निगरानी गतिविधियाँ बढ़ाने का भी अनुरोध किया। जल के परीक्षण के लिए लिये जाने वाले नमूने के साइज पर एफ.एस.एस.ए.आई में विचार किया जाएगा और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को इस बारे में निर्णय यथाशीघ्र सूचित कर दिया जाएगा। सीईओ, एफ.एस.एस.ए.आई ने सुझाव दिया कि अधिनियम के प्रति लोगों का अधिक विश्वास जगाने के लिए एफ.एस.एस अधिनियम, 2006, नियमों और विनियमों के अनुपालन पर सुधार के अधिक नोटिस भेजे जाएँ।

मद 14 - मिलावटी दूध की आपूर्ति और वितरण की समस्या और इसे रोकने के लिए किए गए उपाय

जैसा कि इस विषय पर सीईओ, एफ.एस.एस.ए.आई ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा था, उन्होंने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा विभागों को सतर्क रहने और दूध, पानी और खाद्य तेलों पर विशेष ध्यान देते हुए खाद्य वस्तुओं पर अपनी निगरानी बढाने और खाद्य अपमिश्रण के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने का अनुरोध किया। उन्होंने समिति को इस विषय से संबंधित संसद की माननीय स्थायी समिति द्वारा व्यक्त की गई गंभीर चिंता से अवगत कराया।

मद 15 - खाद्य सुरक्षा अधिकारी की योग्यताएँ

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को एफ.एस.ओ के पद के लिए योग्यताओं के बारे में अपनी फीडबैक और सुझाव देने का अनुरोध किया गया जिसके बाद इस पर एफ.एस.एस.ए.आई में विचार करके उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। तथापि, पद-समतुल्यता का मामला राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों पर छोड़ा गया।

मद 16 - एफ.एस.एस अधिनियम, 2006, नियमों और विनियमों की व्यापक पुनरीक्षा

इस मामले पर सीईओ के प्रारंभिक वक्तव्य में पहले चर्चा की जा चुकी है।

मद 17 - अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय

17.1 स्ट्रीट खाद्य विक्रेताओं की लाइसेंसिंग/पंजीकरण के मामले पर चर्चा की गई। सीईओ ने सुझाव दिया कि राज्य/संघ शासित क्षेत्र स्थानीय शहरी निकायों के सहयोग से स्ट्रीट खाद्य विक्रेताओं के लिए पहचानी गई साइटों को तय करके वहाँ जलपूर्ति, सीवेज कनेक्शनों और कचरा निपटान यूनिटों की व्यवस्था करें। उन्होंने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को ऐसे कम से कम दो-तीन स्थान प्रायौगिक आधार पर तय करने को कहा, जिससे उनका प्रदर्शनकारी प्रभाव पड़े। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि राज्य/संघ शासित क्षेत्र स्ट्रीट खाद्य विक्रेताओं के लिए 1-2 घंटे के लघु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें, जिससे उनके कारबार पर कोई प्रभाव न पड़े।

17.2 खाद्य सुरक्षा आयुक्त, कोलकाता ने कोलकाता उच्च न्यायालय के इस निर्णय का मामला उठाया कि गुटका को कोपटा के अंतर्गत रखा जाए, न कि एफ.एस.एस.ए.आई के। यह सूचित किया गया कि इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में विचार हो रहा है और सभी खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को एक मेल भेजी जाएगी, जिसके साथ सभी याचिकाएँ ट्रांस्फर करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एफ.एस.एस.ए.आई को दिए गए निर्देशों की प्रति भेजी जाएगी।

17.3 खाद्य सुरक्षा आयुक्त, केरल ने उल्लेख किया कि एफ.एस.एस अधिनियम की धारा 35 के अनुसार *''खाद्य प्राधिकारी, अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी स्थानीय क्षेत्र में अपनी वृति चलाने वाले रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वे ऐसे अधिकारी को जो विनिर्दिष्ट किया जाए, उनकी जानकारी में आने वाली खाद्य विषाक्तता की घटनाओं की रिपोर्ट करें।'*

उन्होंने एफ.एस.एस अधिनियम की उक्त धारा में संशोधन करने का अनुरोध किया। उन्होंने मसालों में सूडान डाइयों को पीपीबी स्तर पर ही खोजने की सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, क्योंकि केरल में किसी प्रयोगशाला में ऐसा परीक्षण करने की क्षमता नहीं है। जवाब में एफ.एस.एस.ए.आई ने सूचित किया कि एन.ए.बी.एल द्वारा प्रत्यायित किसी प्रयोगशाला में ऐसी परीक्षण सुविधा होने पर निदेशक (क्यूए) उन्हें बताएँगे।

पूरक मद 1 - एफ.एस.एस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए एफ.बी.ओ की क्षमता-निर्माण के लिए कार्य-प्रणाली का विकास

इस मद पर चर्चा मद सं0 9 के अंतर्गत हुई और खाद्‌य सुरक्षा आयुक्तों को प्रस्तावित कार्य-प्रणाली के बारे में अपनी सम्मतियाँ 30 जनवरी, 2015 तक देने का अनुरोध किया गया था।

बैठक के दौरान उठे कार्रवाई के मुद्‌दे

क. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए कार्रवाई के मुद्‌दे

1. जिन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने ऑनलाइन लाइसेंसिंग/पंजीकरण प्रणाली लागू नहीं की है वे उसके लिए यथाशीघ्र कदम उठाएँ।
2. जिन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने न्यायाधिकरण और/अथवा संचालन समितियाँ स्थापित नहीं की हैं, वे उनकी यथाशीघ्र स्थापना पर विचार करें।
3. राज्य/संघ शासित क्षेत्र खाद्‌य सुरक्षा विभाग को राज्य सरकार के अधीन स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित करने पर विचार करें।
4. जो राज्य/संघ शासित क्षेत्र ए.ओ/डी.ओ/एफ.एस.ओ/प्रयोगशाला विश्लेषक को प्रशिक्षण के लिए भेजना चाहते हैं, वे एफ.एस.एस.ए.आई को यथाशीघ्र लिखें।
5. बूचड़खानों में स्वच्छ अवस्थाएँ बनाए रखने हेतु कसाइयों के प्रशिक्षण के लिए की गई पहलों में तेजी लाने के लिए बूचड़खानों के लिए उत्तम रीतियों का फ्रेमवर्क सुझाने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गोआ, केरल और जम्मू व कश्मीर के खाद्‌य सुरक्षा आयुक्तों की समिति गठित की गई।
6. एफ.बी.ओ की क्षमता-निर्माण के लिए प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने की प्रस्तावित कार्य-प्रणाली के बारे में सुझाव भेजें।
7. दिल्ली, गोआ, गुजरात और तमिलनाडु के खाद्‌य सुरक्षा आयुक्तों की एक समिति लाइसेंसिंग/पंजीकरण संबंधी विभिन्न मामलों की पुनरीक्षा करने और रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रस्तुत करने के लिए गठित की गई।
8. पैकेजबंद पेय जल, दूध और दुग्ध उत्पादों और खाद्‌य तेलों के बारे में निगरानी गतिविधियाँ बढ़ाने और खाद्‌य अपमिश्रण के बारे में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाना।
9. एफएसएस अधिनियम, नियमों एवं विनियमों में संशोधनों के सुझाव देना, जिससे सरकार द्‌वारा इस संबंध में गठित किए गए कार्यदल द्‌वारा चर्चा की जा सके।
10. खाद्‌य सुरक्षा अधिकारियों की योग्यताओं के संबंध में एफ.एस.एस.ए.आई को सुझाव देना।
11. स्ट्रीट खाद्‌य विक्रेताओं के लिए विभिन्न शहरों में विशिष्ट स्थानों की पहचान करना और वहाँ जलपूर्ति, कचरा निपटान यूनिटों जैसी आधाभूत सुविधाओं को प्रायौगिक आधार पर उपलब्ध कराना।

ख. एफ.एस.एस.ए.आई के लिए कार्रवाई के मुद्‌दे

1. एफ.एस.एस.ए.आई जब्त किए गए/पकड़े गए उत्पादों के निपटान के लिए चरणबद्‌ध प्रकिया बनाए।
2. एल्कोहल और एल्कोहलीय पेय पदार्थों के मानकों के अनुमोदन के बारे में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सूचित करना, जिससे वे अपने आबकारी विभाग को सूचित कर सकें।
3. केरल सरकार को मसालों में पी.पी.बी स्तर पर सूडान डाइयाँ खोजने में सक्षम एन.ए.बी.एल प्रत्यायित प्रयोगशालाओं की सूचना देना।
4. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मार्गदर्शन के लिए उनके साथ व्यवसाय मॉडलों/प्रयोगशाला उन्नयन/स्थापना संबंधी साहित्य साझा करना।

ग. एन.आई.एस.जी के लिए कार्रवाई के मुद्‌दे

1. मिड-डे मील कैटररों की लाइसेंसिंग/पंजीकरण के लिए एफ.एल.आर.एस में उनके लिए एक अलग श्रेणी बनाना;
2. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, झारखंड के साथ दिनांक 22 जनवरी 2015 को बैठक तय करना और उसके तुरंत बाद ऑनलाइन लाइसेंसिंग/पंजीकरण आरंभ करना।

घ. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए

केंद्र-प्रायोजित योजनाओं की स्वीकृति में तेजी लाना और उनके लिए वर्ष 2015-16 के दौरान पर्याप्त बजट का प्रावधान करना।

धन्यवाद ज्ञापन

सलाहकार, एफएसएसएआई ने सीएसी की 13वीं बैठक में भाग लेने वाले और पूरा सहयोग देने वाले इसके सभी सदस्यों और अन्य विभागों के साथियों को धन्यवाद दिया।

0-0-0
0-0
0

अनुबंध 1-

केंद्रीय सलाहकार समिति की दिनांक 08 जनवरी, 2015 को आयोजित बैठक में भाग लेने वाले सदस्य

क. सीएसी के सदस्य:-

1. श्री के. चन्द्रमौली, अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई
2. श्री वाई. एस. मलिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सी ए सी
3. श्री एस. दवे, सलाहकार, एफ.एस.एस.ए.आई
4. श्री बिमल के. दुबे, निदेशक (आयात), एफ.एस.एस.ए.आई
5. डॉ. संध्या काबरा, निदेशक (विधि/पी/क्यू)
6. डॉ. मीनाक्षी सिंह, वैज्ञानिक (मानक), एफ.एस.एस.ए.आई
7. डॉ. प्रदीप चक्रवर्ती, निदेशक (प्रशिक्षण/अंचल), एफ.एस.एस.ए.आई
8. श्री संजय गुप्ता, सहायक निदेशक (प्रवर्तन), एफ.एस.एस.ए.आई
9. श्री पी कार्तिकेयन, सहायक निदेशक (क्यूए), एफ.एस.एस.ए.आई
10. डॉ. बी. जी. पांडियन, सहायक निदेशक (आयात), एफ.एस.एस.ए.आई
11. श्री टी. डी. प्रशांत राव, उप निदेशक (एफए), एफ.एस.एस.ए.आई
12. श्री आर. कुलश्रेष्ठ, संयुक्त निदेशक (एम), एफ.एस.एस.ए.आई
13. श्री एस. मीणा, सहायक निदेशक (सामान्य प्रशासन), एफ.एस.एस.ए.आई
14. श्री के. एन. स्वरूप, संयुक्त खाद्य नियंत्रक, आंध्र प्रदेश
15. श्री ए. वी. रेड्डी, सहायक खाद्य नियंत्रक, आंध्र प्रदेश
16. श्री यू. के. मिश्रा, उप खाद्य सुरक्षा आयुक्त, अरुणाचल प्रदेश
17. श्री मनीश ठाकुर, खाफ सुरक्षा आयुक्त, असम
18. श्री सुखविंदर सिंह, डी.ओ, चंडीगढ़
19. डॉ. महेश काकड़िया, कार्यक्रम अधिकारी, दादरा एवं नगर हवेली
20. श्री के. के. जिंदल, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, दिल्ली
21. श्री सुमिति कुमार गुप्ता, डी.ओ, दिल्ली
22. श्री एस. एम. भारद्वाज, खाद्य विश्लेषक, दिल्ली
23. श्री सलीम ए. वैल्जी, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गोआ
24. श्री एस. एन. ठक्कर, उप खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गुजरात
25. श्री रामेश्वर शर्मा, निदेशक, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियम, हिमाचल प्रदेश
26. श्री नाजिर अहमद क्लोरी, नियंत्रक, जम्मू एवं कश्मीर
27. श्री प्रवीण चन्द्र, निदेशक, झारखंड
28. श्री पी. एस. वस्त्राड, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, कर्नाटक
29. श्री शिव कुमार, संयुक्त निदेशक, कर्नाटक
30. श्रीमती अनुपमा टी. वी., खाद्य सुरक्षा आयुक्त, केरल
31. श्री प्रमोद कुमार शुक्ला, संयुक्त नियंत्रक, मध्य प्रदेश
32. डॉ. पी. भापकर, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, महाराष्ट्र
33. श्री के. वी. सांखे, संयुक्त आयुक्त, महाराष्ट्र
34. डॉ. के. यू. मीठेकर, वरिष्ठ एफ एस ओ, महाराष्ट्र
35. श्री एस. एन. संगमा, उप आयुक्त, मेघालय

36. श्री बिजय कुमार नायक, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, ओडिशा
37. डॉ. जी. एल. उपाध्याय, उप खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पुदुच्चेरी
38. डॉ. एस. डी. बालाकृष्णन्, अभिनामित अधिकारी, पुदुच्चेरी
39. श्री हुसन लाल, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पंजाब
40. डॉ. आदित्य अत्रेय, अभिनामित अधिकारी, राजस्थान
41. डॉ. के. अमरेन्द्र रेड्डी, निदेशक, तेलंगाना
42. श्री कुमार जयन्त, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, तमिल नाडु
43. श्री आर. एस. रावत, अभिनामित अधिकारी, उत्तराखंड
44. श्री बादल चैटर्जी (आईएएस), खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश
45. श्री विजय बहादुर, सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तर प्रदेश
46. श्री ओम पाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश
47. श्रीमती गोधूलि मुखर्जी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, पश्चिमी बंगाल
48. श्री जॉर्ज चेरियन, निदेशक, कट्स इंटरनैशनल, जयपुर
49. श्री आर. देसीकान, फाउंडर ट्रस्टी, कन्सर्ट एवं कन्ज्यूमर एसोसिएशन ऑफ इंडिया
50. डॉ. तरसेम चन्द, निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
51. सुश्री पिंकी अग्रवाल, अनुसंधान सहयोगी, फिक्की, दिल्ली
52. डॉ. तरसेम चन्द, निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
53. डॉ. एस. के. सिंह, डीजीएचएच, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
54. श्री के. बी. सुब्रमण्यन्, उप सचिव, खाद्य प्रक्रमण उद्योग मंत्रालय
55. श्री के. के. अरविंद्रन्, विपणन अधिकारी, खाद्य प्रकमण उद्योग मंत्रालय
56. श्री आ. मुतुराज, निदेशक, वाणिज्य मंत्रालय, दिल्ली
57. सुश्री अनीता राव, उप सचिव, कृषि मंत्रालय, दिल्ली
58. श्री अश्विनी लाल, संयुक्त निदेशक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
59. सुश्री अनीता मखीजानी, उप तकनीकी सलाहकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
60. श्री आई. एन. मूर्ति, महाप्रबंधक, एन.आई.एस.जी, हैदराबाद
61. श्री रघु गुडा, वरिष्ठ परामर्शदाता, एन.आई.एस.जी, हैदाराबाद

***भागीदारों के नाम उपस्थिति सूची के अनुसार रखे गए हैं और वरिष्ठता क्रम के अनुसार नहीं हैं। किसी नाम की वर्तनी में हुई कोई भूल गैर-इदादतन है, जिसके लिए खेद है।**

अनुबंध-2

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अधिनियम के क्रियान्वयन की संक्षिप्त स्थिति

1. **अंडेमान एवं निकोबार द्वीपसमूह**

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 3 डी.ओ, 3 ए.ओ और 18 एफ.एस.ओ अधिसूचित।

ख) एक खाद्य विश्लेषक अधिसूचित।

ग) अभी तक 453 लाइसेंस दिए गए और 5,147 पंजीकरण किए गए।

घ) अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित कर दी गई है।

ङ) संचालन समिति गठित कर दी गई है।

च) एक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित कर दी गई है।

2. **आंध्र प्रदेश**

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 17 डी.ओ, 13 ए.ओ और 34 एफ.एस.ओ अधिसूचित।

ख) 8 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित।

ग) अभी तक 10,960 लाइसेंस दिए गए और 20,303 पंजीकरण किए गए।

घ) अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित कर दी गई है।

ङ) संचालन समिति गठित कर दी गई है।

च) एक खाद्य प्रयोगशाला स्थापित कर दी गई है।

3. **अरुणाचल प्रदेश**

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 18 डी.ओ, 18 ए.ओ और 13 एफ.एस.ओ अधिसूचित।

ख) अभी तक 1,251 लाइसेंस दिए गए और 5,254 पंजीकरण किए गए।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित कर दी गई है।

घ) संचालन समिति गठित कर दी गई है।

ङ) विश्लेषण गुवाहाटी (असम) के अधिसूचित खाद्य विश्लेषकों द्वारा किया जाता है।

4. **असम**

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 5 डी.ओ, 27 ए.ओ, 40 एफएसओ अधिसूचित।

ख) 1 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित।

ग) अभी तक 3,748 लाइसेंस दिए गए और 1,598 पंजीकरण किए गए।

घ) अपीलीय प्राधिकरण स्थापित कर दी गई है।

ङ) संचालन समिति गठित कर दी गई है।

च) एक खाद्य प्रयोगशाला स्थापित कर दी गई है।

5. **बिहार**

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 3 डी.ओ, 36 ए.ओ और 14 एफ.एस.ओ अधिसूचित।

ख) 1 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित।

ग) अभी तक 8,164 लाइसेंस दिए गए और 21,176 पंजीकरण किए गए।

घ) अपीलीय प्राधिकरण स्थापित कर दी गई है।

ङ) संचालन समिति गठित कर दी गई है।

च) एक खाद्य प्रयोगशाला स्थापित कर दी गई है।

6. **चंडीगढ़**

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 2 डी.ओ, 1 ए.ओ और 2 एफ.एस.ओ अधिसूचित।

ख) अभी तक 2,873 लाइसेंस दिए गए और 989 पंजीकरण किए गए।

ग) अपीलीय प्राधिकरण स्थापित कर दी गई है।

घ) संचालन समिति गठित कर दी गई है।

ङ) एक खाद्य प्रयोगशाला स्थापित कर दी गई है।

7. **छत्तीसगढ़**

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 27 डी.ओ, 27 ए.ओ और 10 एफ.एस.ओ अधिसूचित।

ख) 2 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित।

ग) अभी तक 4,975 लाइसेंस दिए गए और 4,839 पंजीकरण किए गए।

घ) अपीलीय प्राधिकरण स्थापित कर दी गई है।

ङ) संचालन समिति गठित नहीं की गई है।

च) एक खाद्य प्रयोगशाला स्थापित कर दी गई है।

8. **दादरा व नगर हवेली**

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 1 डी.ओ, 1 ए.ओ और 1 एफ.एस.ओ अधिसूचित।

ख) अभी तक 729 लाइसेंस दिए गए और 2,210 पंजीकरण किए गए।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित नहीं की गई है।

घ) संचालन समिति गठित नहीं की गई है।

ङ) संघ शासित क्षेत्र ने खाद्य एवं औषध प्रयोगशाला, बड़ौदा (गुजरात) के 6 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित किए हैं।

9. **दमन एवं दीव**

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 2 डी.ओ, 2 ए.ओ और 3 एफ.एस.ओ अधिसूचित।

ख) अभी तक 244 लाइसेंस दिए गए और 1,294 पंजीकरण किए गए।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित नहीं की गई है।

घ) संचालन समिति गठित कर दी गई है।

ङ) संघ शासित क्षेत्र पब्लिक प्रयोगशाला, गुजरात की सेवाएँ ले रहा है।

10. **दिल्ली**

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 9 डी.ओ, 11 ए.ओ और 12 एफ.एस.ओ अधिसूचित।

ख) 2 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित।

ग) अभी तक 9,772 लाइसेंस दिए गए और 7,439 पंजीकरण किए गए।

घ) अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित कर दी गई है।

ङ) संचालन समिति स्थापित कर दी गई है।

च) 1 एनएबीएल प्रत्यायित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित है।

11. **गोआ**

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 2 डी.ओ, 2 ए.ओ, 11 एफ.एस.ओ अधिसूचित।

ख) 2 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित।

ग) अभी तक 2,363 लाइसेंस दिए गए और 16,239 पंजीकरण किए गए।

घ) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना प्रक्रिया में है।

ङ) संचालन समिति गठित नहीं की गई है।

च) राज्य में 1 खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला है।

12. **गुजरात**

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 32 डी.ओ, 33 ए.ओ, 210 एफ.एस.ओ अधिसूचित।

ख) 10 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित।

ग) अभी तक 44,686 लाइसेंस दिए गए और 1,28,523 पंजीकरण किए गए।

घ) अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित कर दी गई है।

ङ) संचालन समिति गठित नहीं की गई है।

च) 9 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ अधिसूचित की गई थीं, जिनमें से 2 एनएबीएल प्रत्यायित हैं।

13. **हरियाणा**

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 21 डी.ओ, 21 ए.ओ, 12 एफ.एस.ओ अधिसूचित।

ख) 3 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित।

ग) अभी तक 6,568 लाइसेंस दिए गए और 14,405 पंजीकरण किए गए।

घ) अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित कर दी गई है।

ङ) संचालन समिति गठित नहीं की गई है।

च) राज्य में 2 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ हैं।

14. **हिमाचल प्रदेश**

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 13 डी.ओ, 10 ए.ओ, 9 एफ.एस.ओ अधिसूचित।

ख) 1 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित।

ग) अभी तक 6,768 लाइसेंस दिए गए और 72,397 पंजीकरण किए गए।

घ) अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित कर दी गई है।

ङ) संचालन समिति गठित कर दी गई है।

च) राज्य में 1 खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला है, परंतु वह एन ए बी एल-प्रत्यायित नहीं है।

15. **जम्मू एवं कश्मीर**

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 25 डी.ओ, 22 ए.ओ, 87 एफ.एस.ओ अधिसूचित।

ख) 2 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित।

ग) अभी तक 7,990 लाइसेंस दिए गए और 68,748 पंजीकरण किए गए।

घ) अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित नहीं की गई है।

ङ) संचालन समिति गठित कर दी गई है।

च) राज्य में 2 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ हैं।

16. **झारखंड**

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 24 डी.ओ, 24 ए.ओ, 202 एफ.एस.ओ अधिसूचित।

ख) 1 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित।

ग) अभी तक 5,765 लाइसेंस दिए गए और 13,881 पंजीकरण किए गए।

घ) अपीलीय नयायाधिकरण स्थापित कर दी गई है।

ङ) संचालन समिति गठित नहीं की गई है।

च) राज्य में 1 खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला है।

17. **कर्नाटक**

क) खाद्‌य सुरक्षा आयुक्त, 36 डी.ओ, 30 ए.ओ, 67 एफ.एस.ओ अधिसूचित।

ख) 9 खाद्‌य विश्लेषक अधिसूचित।

ग) अभी तक 32,773 लाइसेंस दिए गए और 1,22,721 पंजीकरण किए गए।

घ) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना प्रक्रिया में है। उसकी जगह एक विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है।

ङ) संचालन समिति गठित नहीं की गई है।

च) राज्य में 5 खाद्‌य प्रयोगशालाएँ हैं।

18. **केरल**

क) खाद्‌य सुरक्षा आयुक्त, 14 डी.ओ, 14 ए.ओ, 75 एफ.एस.ओ अधिसूचित।

ख) 7 खाद्‌य विश्लेषक अधिसूचित।

ग) अभी तक 44,567 लाइसेंस दिए गए और 1,44,651 पंजीकरण किए गए।

घ) अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित कर दी गई है।

ङ) संचालन समिति गठित कर दी गई है।

च) राज्य में 3 खाद्‌य प्रयोगशालाएँ हैं।

19. **लक्षद्‌वीप**

क) खाद्‌य सुरक्षा आयुक्त, 1 डी.ओ, 1 ए.ओ, 15 एफ.एस.ओ अधिसूचित।

ख) लाइसेंसों और पंजीकरणों के बारे में कोई आँकड़े नहीं।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित कर दी गई है।

घ) संचालन समिति गठित नहीं की गई है।

ङ) प्रयोगशालाओं के बारे में कोई आँकड़े नहीं।

20. **मध्य प्रदेश**

क) खाद्‌य सुरक्षा आयुक्त, 51 डी.ओ, 51 ए.ओ और 179 एफ.एस.ओ अधिसूचित।

ख) 3 खाद्‌य विश्लेषक अधिसूचित।

ग) अभी तक 37,362 लाइसेंस दिए गए और 3,17,933 पंजीकरण किए गए।

घ) अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित नहीं की गई है।

ङ) संचालन समिति गठित कर दी गई है।

च) राज्य में 3 खाद्‌य प्रयोगशालाएँ हैं।

21. **महाराष्ट्र**

क) खाद्‌य सुरक्षा आयुक्त, 62 डी.ओ, 7 ए.ओ, 265 एफ.एस.ओ + 35 स्थानीय निकाय अधिसूचित।

ख) 22 खाद्‌य विश्लेषक अधिसूचित।

ग) अभी तक 1,69,161 लाइसेंस दिए गए और 5,90,850 पंजीकरण किए गए।

घ) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना कर दी गई है।

ङ) संचालन समिति गठित कर दी गई है।

च) 11 अधिसूचित खाद्‌य परीक्षण प्रयोगशालाएँ हैं।

22. **मणिपुर**

क) खाद्‌य सुरक्षा आयुक्त, 9 डी.ओ, 9 ए.ओ और 9 एफ.एस.ओ अधिसूचित।

ख) 1 खाद्‌य विश्लेषक अधिसूचित।

ग) अभी तक 394 लाइसेंस दिए गए और 2,350 पंजीकरण किए गए।

घ) अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित नहीं की गई है।

ङ) संचालन समित गठित कर दी गई है।

च) 1 राजय खाद्य प्रयोगशाला स्थापित है।

23. **मेघालय**

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 1 उपायुक्त, 3 डी.ओ, 7 ए.ओ और 7 एफ.एस.ओ अधिसूचित।

ख) अभी तक 1,737 पंजीकरण किए गए और 1,252 लाइसेंस दिए गए।

ग) अपीलीय प्राधिकरण स्थापित कर दी गई है।

घ) संचालन समिति का गठन राज्य और जिला स्तर पर कर दिया गया है।

ङ) 1 खाद्य विश्लेषक नियुक्त कर दिया गया है और 1 खाद्य प्रयोगशाला स्थापित कर दी गई है।

24. **मिजोरम**

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 3 डी.ओ, 9 ए.ओ और 12 एफ.एस.ओ अधिसूचित।

ख) अभी तक 310 पंजीकरण किए गए और 3,053 लाइसेंस जारी किए गए।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित कर दी गई है।

घ) संचालन समिति गठित नहीं गई है।

ङ) कोई खाद्य प्रयोगशाला न होने के कारण कोई खाद्य विश्लेषक नियुक्त नहीं किया गया।

25. **नागालैंड**

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 11 डी.ओ, 11 ए.ओ, 11 एफ.एस.ओ अधिसूचित।

ख) 1 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित।

ग) अभी तक 422 लाइसेंस दिए गए और 2,355 पंजीकरण किए गए।

घ) अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित नहीं की गई है।

ङ) संचालन समिति गठित नहीं की गई है।

च) 1 खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला अधिसूचित।

26. **ओडिशा**

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 37 डी.ओ, 30 ए.ओ और 26 एफ.एस.ओ अधिसूचित।

ख) 1 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित।

ग) अभी तक 8,180 लाइसेंस दिए गए और 9,359 पंजीकरण किए गए।

घ) अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित नहीं की गई है।

ङ) संचालन समिति स्थापना की प्रक्रिया में है।

च) 1 खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला अधिसूचित।

27. **पुदुच्चेरी**

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 1 डी.ओ, 2 ए.ओ, 2 एफ.एस.ओ अधिसूचित।

ख) 1 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित।

ग) अभी तक 829 लाइसेंस दिए गए और 1,653 पंजीकरण किए गए।

घ) अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापना की प्रक्रिया में है।

ङ) संचालन समिति गठित कर दी गई है।

च) 1 खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित कर दी गई है।

28. **पंजाब**

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 20 डी.ओ, 11 ए.ओ, 45 एफ.एस.ओ अधिसूचित।

ख) 2 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित।

ग) अभी तक 12,843 लाइसेंस और 89,219 पंजीकरण किए गए।

घ) अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित कर दी गई है।

ङ) संचालन समिति गठित कर दी गई है।

च) 1 खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित कर दी गई है।

29. **राजस्थान**

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 42 डी.ओ, 48 ए.ओ और 87 एफ.एस.ओ अधिसूचित।

ख) 6 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित।

ग) अभी तक 30,383 लाइसेंस दिए गए और 1,17,287 पंजीकरण किए गए।

घ) अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापना की प्रक्रिया में है।

ङ) संचालन समिति गठित कर दी गई।

च) 6 राज्य खाद्य प्रयोगशालाएँ स्थापित कर दी गई हैं।

30. **सिक्किम**

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 2 डी.ओ, 4 ए.ओ और 2 एफ.एस.ओ अधिसूचित।

ख) अभी तक 1,343 लाइसेंस दिए गए और 4,510 पंजीकरण किए गए।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापना की प्रक्रिया में है।

घ) संचालन समिति गठित नहीं की गई है।

ङ) प्रयोगशालाओं के बारे में कोई आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

31. **तमिल नाडु**

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 32 डी.ओ, 32 ए.ओ, 503 एफ.एस.ओ अधिसूचित।

ख) 6 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित।

ग) अभी तक 28,799 लाइसेंस दिए गए और 1,56,907 पंजीकरण किए गए।

घ) अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित नहीं की गई है।

ङ) संचालन समिति गठन की प्रक्रिया में है।

च) 6 राज्य खाद्य प्रयोगशालाएँ स्थापित कर दी गई हैं।

32. **त्रिपुरा**

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 8 डी.ओ, 8 ए.ओ और 4 एफ.एस.ओ अधिसूचित।

ख) 1 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित।

ग) अभी तक 1,161 लाइसेंस दिए गए और 3,8,48 पंजीकरण किए गए।

घ) अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित कर दी गई है।

ङ) संचालन समिति गठित कर दी गई है।

च) 6 राज्य खाद्य प्रयोगशालाएँ स्थापित कर दी गई हैं।

33. **उत्तराखंड**

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 13 डी.ओ, 13 ए.ओ, 29 एफ.एस.ओ अधिसूचित।

ख) अभी तक 5,926 लाइसेंस दिए गए और 48,471 पंजीकरण किए गए।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित नहीं की गई है।

घ) संचालन समिति गठित कर दी गई है।

ङ) कोई खाद्य विश्लेषक अधिसूचित नहीं।

34. **उत्तर प्रदेश**

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 38 डी.ओ, 75 ए.ओ, 232 एफ.एस.ओ अधिसूचित।

ख) 3 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित।

ग) अभी तक 41,509 लाइसेंस दिए गए और 3,39,344 पंजीकरण किए गए।

घ) अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित कर दी गई है।

ङ) संचालन समिति गठित कर दी गई है।

च) राज्य में 3 खाद्य प्रयोगशालाएँ हैं।

35. **पश्चिमी बंगाल**

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 38 डी.ओ, 75 एओ, 232 एफ.एस.ओ अधिसूचित।

ख) 2 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित।

ग) अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित नहीं की गई है।

घ) संचालन समिति स्थापित कर दी गई है।

ङ) 2 परीक्षण प्रयोगशालाएँ अधिसूचित।

*****